

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर प्रथम

श्रीमति सोहनी देवी बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

मुकदमा संख्या/वर्ष : 17312 / 20

फोसो	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/08/24	<p>जवाबदी फ़ैसलें हुईं। वही आदेशों का उपनिर्देश। अधिसूचना दिनांक 18/11/23 के अनुसार वही और प्रतिकारियों के समझ के लिए राजास्वी लंबी करवायी जाती थी। परन्तु लगभग एक वर्ष 02 घण्टे का समय व्यतीत हो चुके के उपरान्त भी वही द्वारा प्रतिकारियों को समझ के लिए राजास्वी लंबी फ़ैसलें नहीं की गयीं।</p> <p>जयपुर इलाके वही राजास्वी लंबी हेतु डाक-खर्च देने में विफल रहें।</p> <p>जहां वही क्वार्टर फ़ैसलें 09 दिनांक 02 CR के तहत प्रेषित नहीं होने से खारिज किया जा रहा है।</p> <p>जवाबदी फ़ैसलें सुनार दीवारा फ़ैसलें द्वारा हीतम सुनार दीवारा करवाया।</p>	

**सहायक कलेक्टर**  
**जयपुर शहर प्रथम**